

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र.

क्र./अ.बा.मि./2020/540

भोपाल, दिनांक 26.03.2020

प्रति,

जिला कलेक्टर,
जिला समस्त, म.प्र.

विषय- आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों हेतु प्रदाय THR के परिवहन बाबत।

विषयांतरगत लेख है की जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में COVID19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति में MP Agro के संयंत्रों द्वारा परियोजनाओं में प्रदायित पोषण आहार (THR) का परिवहन आंगनवाड़ी केन्द्रों तक नहीं हो पा रहा जिससे बच्चों को THR का प्रदाय बाधित हो रहा है।

आपको विदित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार पोषण आहार की निरंतरता बनाये रखना आवश्यक है। कृपया THR परिवहन में संलग्न वाहनों को जिले के अंदर परिवहन की अनुमति देने का अनुरोध है।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)


(स्वर्णिमा शुक्ला)

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रतिलिपि-

पृ.क्र./अ.बा.मि./2020/541

दिनांक- 26.03.2020

- 1- सम्भागीय संयुक्त संचालक, संभाग समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समस्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


संयुक्त संचालक

महिला एवं बाल विकास विभाग